संख्या–२०१ /एक–9–2023–2 (एफ)/2018

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2023

विषयः मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत मृत्यु/दिव्यांगता के दावों के प्रस्तुत किये जाने की अवधि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना संचालित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2020 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा यह योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी थी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के शासनादेश संख्या– 1/2020/मु0स0–11/एक–9–2020–2(एफ)/2018, दिनांक 28 फरवरी, 2020 के बिन्दु संख्या–10 में प्राविधानित व्यवस्था में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

"कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने पर कृषक/विधिक वारिस/ वारिसों को आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्रों/प्रपत्रों को पूर्ण कराकर, दो प्रतियों में (मूल प्रति एवं छाया प्रति) अधिकतम 03 माह (90 दिन) की अवधि में सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को 03 माह तक कारण सहित बढ़ाने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा। किसी भी दशा में 06 माह (180 दिन) के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।"

3– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश संख्या–1/2020/मु0स0–11/एक–9–2020–2(एफ)/2018, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–२०१(१)/एक–9–2023, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।